

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 106/3110/

पटना, दिनांक 12.01.19

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन)-33/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना।
सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), मुजफ्फरपुर।
अग्र परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण कटोरिया, बांका।

विषय :-

मुख्यशीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-107-रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851.00.107.0101 के विषय शीर्ष 0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय मद से वित्तीय वर्ष 2018-19 में मलवरी, तसर एवं अंडी कीटपालकों के प्रशिक्षण के लिए रु० 19,98,000/- (उन्नीस लाख अठानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 699 दि० 31.01.2019 के आलोक में उपर्युक्त विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 19,98,000/- (उन्नीस लाख अठानवे हजार) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना आय-व्ययक शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-107-रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास, विपत्र कोड-23-2851.00.107.0101 के विषय शीर्ष 0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय मद से विकलित होगा। राशि का आवंटन निम्न सारणी के अनुरूप है :-

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आवंटित राशि (रु०)	कोषागार
1	सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना	6,00,000	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
2	सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), मुजफ्फरपुर	6,00,000	मुजफ्फरपुर
3	अग्र परियोजना पदाधिकारी, इनारावरण, कटोरिया, बांका	7,98,000	बांका
4	योग	19,98,000	

3

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4

राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।


(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

5

व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

कृ० पृ० उ०


विश्वासभाजन


 उद्योग निदेशक
 बिहार, पटना।

ज्ञापांक 106/3170 /

पटना, दिनांक 1.2.19


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/बांका एवं सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 उद्योग निदेशक
 बिहार, पटना।

ज्ञापांक 106/3170 /

पटना, दिनांक 1.2.19

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, बांका एवं पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर, बांका एवं पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0-डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारियों के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।


 उद्योग निदेशक
 बिहार, पटना।